

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### द्वितीय सत्र

मंगलवार, 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940(शक्)

11.00 बजे(पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तरः:

##### (1) तारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा  
उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा  
पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश कृषि  
औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4)  
के अन्तर्गत डा० वाई०एस० परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी  
विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17  
की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक  
प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल  
प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, आचार्य, (संस्कृत, महाविद्यालय  
संवर्ग) वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्त्रित नियम, 2018  
जोकि अधिसूचना संख्या:इ.डी.एन.-ए-ख(2)/32/2014  
दिनांक 21.02.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र  
में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित;

- (ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-17 (1.4.2016 से 31.3.2017 तक);
  - (iii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और
  - (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 (01-04-2016 से 31-03-2017 तक)।
- (3) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);
  - (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17;
  - (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(ए)3-3/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01. 12.2017 को प्रकाशित;

- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(बी)2-4/2009-I दिनांक 28.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03. 01.2018 को प्रकाशित;
- (v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(बी)15-3/2010 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.12.2017 को प्रकाशित;
- (vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(ए)3-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.11.2017 को प्रकाशित;
- (vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(ए)3-2/2016 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2018 को प्रकाशित;
- (viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(ए)3-1/2016 दिनांक 04.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11. 07.2017 को प्रकाशित;

- (ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-1, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोत्तरि नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-ए(ए)3-4/2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित; और
- (x) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:श्रम(ए)2-1/2013-भाग-II बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दिनांक 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित।
- (4) डॉ० राजीव सैज़ल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

### **3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 124वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति का दशम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 191वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;
- (iv) समिति के 61वें मूल प्रतिवेदन (षष्ठम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
- (v) समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 56वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 61वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है; और
- (viii) समिति के 272वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 90वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

(2) श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या 3:1 व 3:2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

#### **4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान:-**

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान ।

(अनुदान मांगों पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कठौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004  
दिनांक: 26 मार्च, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

सूची सं0-1

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व व जिला प्रशासन

सदस्य का नाम

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या:

नीति का अननुमोदन

5

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
"भू-राजस्व व जिला प्रशासन"  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री सतपाल सिंह रायजादा।

1. जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-2

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 6 - आबकारी और कराधान

सदस्य का नाम

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या:

नीति का अननुमोदन

6

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
"आबकारी और कराधान"  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री जगत सिंह नेगी ।

प्रदेश की आबकारी एवं कराधान नीति का  
अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-3

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

### मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव  | मांग संख्या: |
|--------------|---|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u><br/>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“पुलिस और सम्बद्ध संगठन”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> | 7            |

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री राम लाल ठाकुर,
6. श्री नन्द लाल,
7. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
8. श्री विक्रमादित्य सिंह,
9. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की गृह रक्षकों की वर्तमान नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

| सदस्य का नाम                    | कटौती प्रस्ताव  | मांग संख्या |
|---------------------------------|---|-------------|
|                                 | नीति का अननुमोदन<br>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br>“शिक्षा”<br>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।  | 8           |
| 1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,      |   |             |
| 2. श्री अनिरुद्ध सिंह,          |   |             |
| 3. श्रीमती आशा कुमारी,          |   |             |
| 4. श्री हर्षवर्धन चौहान,        |   |             |
| 5. श्री जगत सिंह नेगी,          |   |             |
| 6. श्री राम लाल ठाकुर,          |   |             |
| 7. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, |   |             |
| 8. श्री नन्द लाल,               |   |             |
| 9. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,    |   |             |
| 10. श्री विक्रमादित्य सिंह,     |   |             |
| 11. श्री आशीष बुटेल,            |   |             |
| 12. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।   |   |             |
|                                 | 1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।<br>2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।<br>3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन ।<br>4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नीति का अननुमोदन ।<br>5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन । |             |

## **2. सांकेतिक कटौती**

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“शिक्षा”  
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

### **श्री हर्षवर्धन चौहान :**

1. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पाठशालाओं में रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति न करने में सरकार की असफलता।
2. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जामना, तत्याना, टिम्बी तथा नैनीधार के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।
3. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में कफोटा और रोनाहट के महाविद्यालय के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
विधानसभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव   | मांग संख्या |
|--------------|--|-------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u></p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।</p> <p>1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,<br/>2. श्री अनिस्त्रद्ध सिंह,<br/>3. श्रीमती आशा कुमारी,<br/>4. श्री हर्षवर्धन चौहान,<br/>5. श्री जगत सिंह नेगी,<br/>6. श्री राम लाल ठाकुर,<br/>7. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,<br/>8. श्री नन्द लाल,<br/>9. डॉ(कर्नल) धनी राम शांडिल,<br/>10. श्री राकेश सिंधा,<br/>11. श्री पवन कुमार काजल,<br/>12. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,<br/>13. श्री विक्रमादित्य सिंह,<br/>14. श्री आशीष बुटेल,<br/>15. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।</p> <p>1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।<br/>2. सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन ।<br/>3. सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।<br/>4. सरकार की विश्राम गृहों और परिधि गृहों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।<br/>5. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण में कार्यरत्त मजदूरों की नीति का अननुमोदन ।</p> | 10          |

## 2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
 ‘लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन’  
 की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

### श्री हर्षवर्धन चौहान:

- (1) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पावंटा-शिलाई-मिनस सड़क के कार्य में ठेकेदार द्वारा उचित सामग्री का उपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (2) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग मण्डल, शिलाई में नये जे0सी0बी0, टिप्पर, बुलडोज़र, ट्रक का प्रावधान न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (3) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप बी0 एण्ड आर0, मण्डल, शिलाई में सड़कों की मैटलिंग/टॉरिंग न कर पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.  
 दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
 विधानसभा।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-7

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव  | मांग संख्या |
|--------------|---|-------------|
|              | <p><u>1. नीति का अननुमोदन</u><br/>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“कृषि”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> <p>1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,<br/>2. श्री अनिरुद्ध सिंह,<br/>3. श्रीमती आशा कुमारी,<br/>4. श्री राकेश सिंघा,<br/>5. श्री पवन कुमार काजल,<br/>6. श्री आशीष बुटेल ।</p> <p>1. किसानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।<br/>2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।<br/>3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन ।<br/>4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन ।<br/>5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन ।</p> | 11          |

शिमला-171004.  
दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या:

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री राम लाल ठाकुर,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री आशीष बुटेल ।

1. बागवानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की डा० वाई०एस० परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.

दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव   | मांग संख्या: |
|--------------|--|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u></p> <p>कि शीष के अन्तर्गत मांग<br/>“सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> <p>1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,<br/>     2. श्री अनिस्तुद्ध सिंह,<br/>     3. श्रीमती आशा कुमारी,<br/>     4. श्री हर्षवर्धन चौहान,<br/>     5. श्री जगत सिंह नेगी,<br/>     6. श्री राम लाल ठाकुर,<br/>     7. श्री राजेन्द्र राणा,<br/>     8. श्री नन्द लाल,<br/>     9. डॉ(कर्नल) धनी राम शांडिल,<br/>     10. श्री राकेश सिंघा,<br/>     11. श्री पवन कुमार काजल,<br/>     12. श्री विक्रमादित्य सिंह,<br/>     13. श्री आशीष बुटेल,<br/>     14. श्री सतपाल सिंह रायजादा।</p> <p>1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।<br/>     2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।<br/>     3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।<br/>     4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।</p> | 13           |

## 2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
 ‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’  
 की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

### श्री हर्षवर्धन चौहानः

1. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल पांवटा के अन्तर्गत विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता ।
2. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत शिलाई के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना की पंपिंग मशीनरी को न बदल पाने में सरकार की असफलता ।
3. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पम्प ऑपरेटरों की पदपूर्ति न कर पाने में सरकार की असफलता ।

शिमला-171004.  
 दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
 विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-10

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव  | मांग संख्या: |
|--------------|---|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u><br/>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“वन और वन्य जीवन”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,</li><li>2. श्री अनिल्द्वध सिंह,</li><li>3. श्रीमती आशा कुमारी,</li><li>4. श्री हर्षवर्धन चौहान,</li><li>5. श्री जगत सिंह नेगी,</li><li>6. श्री राम लाल ठाकुर,</li><li>7. श्री नन्द लाल,</li><li>8. डॉ(कर्नल) धनी राम शांडिल,</li><li>9. श्री राकेश सिंधा,</li><li>10. श्री पवन कुमार काजल,</li><li>11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,</li><li>12. श्री विक्रमादित्य सिंह,</li><li>13. श्री आशीष बुटेल,</li><li>14. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. सरकार की वर्तमान वर्तमान के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।</li><li>2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।</li><li>3. सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।</li><li>4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।</li></ol> | 16           |

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*

सूची सं0-11

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी**

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव   | मांग संख्या: |
|--------------|--|--------------|
|              | <p><b>नीति का अननुमोदन</b></p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> | 18           |

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री राजेन्द्र राणा,
4. श्री राकेश सिंधा,
5. श्री पवन कुमार काजल ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की पुनः संरचना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-12

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 25 - सड़क और जल परिवहन

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव   | मांग संख्या: |
|--------------|--|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u><br/>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“सड़क और जल परिवहन”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> <p>1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,<br/>2. श्री अनिरुद्ध सिंह,<br/>3. श्रीमती आशा कुमारी,<br/>4. श्री हर्षवर्धन चौहान,<br/>5. श्री जगत सिंह नेगी,<br/>6. श्री राजेन्द्र राणा,<br/>7. श्री नन्द लाल,<br/>8. डॉ(कर्नल) धनी राम शांडिल,<br/>9. श्री राकेश सिंधा,<br/>10. श्री पवन कुमार काजल,<br/>11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,<br/>12. श्री विक्रमादित्य सिंह,<br/>13. श्री आशीष बुटेल ।</p> <p>1. सरकार की वर्तमान परिवहन नीति का अननुमोदन ।<br/>2. सरकार की बस अडडों के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।<br/>3. सरकार की नई बसें क्रय करने तथा आम जन-मानस तक सुविधा पहुंचाने की नीति का अननुमोदन ।</p> | 25           |

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-13

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव  | मांग संख्या: |
|--------------|---|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u></p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“पर्यटन और नागर विमानन”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> | 26           |

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की हवाई पट्टी/ हेलीपैड के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नई राहें नई मंजिले नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव | मांग संख्या: |
|--------------|----------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|

नीति का अननुमोदन 28

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री अनिरुद्ध सिंह,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना  
की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की नगर एवं उप-नगरों में सफाई,  
पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का  
अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.3.2018

सचिव,  
विधान सभा ।

सूची सं0-15

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

| सदस्य का नाम | कटौती प्रस्ताव   | मांग संख्या: |
|--------------|--|--------------|
|              | <p><u>नीति का अननुमोदन</u></p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग<br/>“अनुसूचित जाति उप-योजना”<br/>की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p> | 32           |

श्री हर्षवर्धन चौहानः

1. सरकार की वर्तमान अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पैशान की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 21.03.2018

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*